न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, प्रथम, शिवहर।

सत्रवाद संख्या–02/2018.

दिनांक–19.02.2021

आवेदक अभियुक्त–1. विन्देश्वर सहनी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रभात कुमार संचालित करते हुए कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त पूर्व से जमानत पर था। उनका जमानत आवेदन दिनांक–11.04.2018 को खंड़ित करते हुए गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है। अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी तर्क कि है कि आवेदक अभियुक्तगण जान बुझकर गलती नहीं किया है, बल्कि पैरवीकार की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। अतः अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक अभियुक्त का बंध–पत्र दिनांक–11.04.2018 को खंड़ित करते हुए गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है। वाद आरोप गठन हेतु नियत था और अभियुक्त की ओर से कोई पैरवी नहीं थी। आवेदक अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता एकरार करते हैं कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी।

अतः उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों एवं वाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त–1.विन्देश्वर सहनी को मो–10,000/–(दस हजार रूपये) के समतुल्य राशि के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने तथा 500/–रुपया के खर्चा पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है, कि आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा प्रत्येक नियत तिथि को आरोप गठन तक सदेह उपस्थित रहेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, शिवहर।
दिनांक–19.02.2021